झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–39 वर्ष 2017</u>

राम उरांव, पुत्र–स्वर्गीय कुरा उरांव, निवासी ग्राम–लोअर चुटिया, महादेव टोली, डाकघर, थाना–चुटिया, जिला–राँची।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, राँची, डाकघर, थाना–राँची, जिला–राँची
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर राँची, डाकघर, थाना–राँची, जिला–राँची
4. अंचलाधिकारी, टाउन अंचल, राँची, डाकघर, थाना–राँची, जिला–राँची
5. मंगरा कुजूर
6. मुन्ना कुजूर, दोनों क्रम सं0 5 और 6 सोमरा कुजूर (उरांव) के पुत्र हैं, जो ग्राम लोअर चुटिया, महादेव टोली, डाकघर + थाना–चुटिया, जिला– राँची के निवासी हैं।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन</u>**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अनिल कु0 सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए :– मो0 शमीम अख्तर, अधिवक्ता।

3/11.04.2018 याचिकाकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर राँची द्वारा विविध वाद संख्या–610/2016–17 में उन्हें जारी नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उक्त नोटिस में उल्लिखित भूमि के संबंध में सभी दस्तावजों के साथ उनके सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

चूंकि नोटिस, जिसको चुनौती दिया गया है, को अधिकारिता के बिना नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उक्त नोटिस में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ।

याचिकाकर्त्ता विविध वाद संख्या–610/2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, राँची के समक्ष पेश होगा और अपने मामले को प्राधिकारी के समक्ष रखेगा जो इस याचिकाकर्त्ता को गुणदोष के आधार पर अवसर देने के बाद एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश द्वारा मामले का निर्णय करेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देश के साथ इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, जे0)